भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 573
गुरुवार, 06 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)को दिया जाने वाला उत्तर

संकटग्रस्त विमान कंपनियों को निधियां

573. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त विमान कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई बजट आवंटित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की विमानन कंपनियों के ऋण भार को कम करने के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क को राजसहायता देने के लिए किसी विशिष्ट बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) घाटे में चल रहे विमानपत्तनों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में विमानन अवसंरचना के उन्नयन के लिए क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को विनियमन मुक्त कर दिया गया है। सरकार नागर विमानन के लिए सुरक्षित और संधारणीय ढंग से विकास करने और विनियमन मुक्त करके, सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस के माध्यम से व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए एक सक्षमकारी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करती है, परंतु एयरलाइनों के वाणिज्यिक/वित्तीय निर्णयों और प्रचालन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती।

(ग) से (ड.): उड़ान योजना के तहत देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों /वाटर एयरोड्रमों के पुनरुद्धार/उन्नयन के लिए 4500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए अतिरिक्त 50 हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों, वाटर एयरोड्रमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंडों का पुनरूद्धार करने के लिए योजना के दूसरे चरण के लिए सरकार द्वारा

1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उड़ान योजना के तहत चरण-I और चरण-II के तहत 598 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

क्षेत्रीय हवाई यात्रा की वहनियता सुनिश्चित करने के लिए, उड़ान योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें एयरलाइन संचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाई अड्डा ऑपरेटरों द्वारा रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर को पूरा के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) शामिल हैं।

******